

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)  
मुख्य वन संरक्षक/प्रमोदी वन संरक्षक  
अलीगढ़ जंक्शन, अलीगढ़।

1. प्रमाणित निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
2. परियोजना प्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 3-सी/446, बौद्ध विहार, दिल्ली रोड, मुंबादाबाद-244001 उ0प्र0।

प्रतिनिधि-निर्देशित का संचालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

पत्रांक /14-1, समादिनांकित।  
 (आलोक कुमार श्रीवास्तव)  
 मुख्य वन संरक्षक/प्रमोदी वन संरक्षक  
 अलीगढ़ जंक्शन, अलीगढ़।

भवदीय

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

अपलोड कर संपूर्ण सहित 3 प्रतियां में संलग्नकर प्रेषित है।

अतः उक्त प्रस्ताव पर अधिष्ठित कार्रवाई करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर 1758/अलीगढ़ 7444/यू0पी0-014/2015, दिनांक 03.11.2015 द्वारा प्रेषित किया गया है।

पौधों की क्षति का अनुमानित प्रस्ताव प्रमाणित निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक चौकीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 7.4226 हे0 सखित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 194 वर्गों के घातन एवं 56 जनपद अलीगढ़ में एन0एच0ए0आइ0 द्वारा प्रस्तावित एन0एच0-93 किमी0 85.700 से 100.372 तक

महोदय,

विषय:- जनपद अलीगढ़ में एन0एच0ए0आइ0 द्वारा प्रस्तावित एन0एच0-93 किमी0 85.700 से 100.372 तक चौकीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 7.4226 हे0 सखित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 194 वर्गों के घातन एवं 56 पौधों की क्षति का अनुमानित प्रस्ताव।

मुख्य वन संरक्षक/नीलन अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

पत्रांक 1801/14-1, दिनांक: अलीगढ़, दिसम्बर 15, 2015  
गैर वानिकी प्रयोग केन्द्र, अलीगढ़, पिन-202001 • ई-मेल: cfa@aligarh@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ जंक्शन, अलीगढ़।